



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228034
CG-DL-E-01072021-228034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]
No. 369]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन नियम 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन नियम 1960 है।"

- उक्त विनियम में,—

(क) "विनियम" या "विनियमों" या "विनियमों", शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं (विनियम 87 के अलावा), "नियम" या "नियमों" या "नियमों" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे;

(ख) "उप-विनियम" या "उप-विनियमों", शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "उप-नियम" या "उप-नियमों" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

4. उक्त विनियमों के विनियम 3 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्निलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(घक) "कार्यकारी निदेशक" से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त और इस प्रकार पदाभिहित निगम का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।'।

5. उक्त विनियम के विनियम 19 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्निलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(5) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी पदावधि के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति करती है जो साठ वर्ष की आयु से अधिक है या उक्त आयु से आगे की अवधि तक उसकी पदावधि को विस्तारित करती है, वह तब तक अधिवर्षिता प्राप्त नहीं करेगा जब तक वह ऐसी अवधि पूरी नहीं कर लेता है या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पहले हो"।

[फा. सं. एस-11012/02/2021-बीमा-I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना तारीख 23 जुलाई, 1960 द्वारा प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात् इसे अधिसूचना तारीख 20-01-1962, 01-12-1962, 14-04-1962, 30-03-1963, 03-08-1963, 28-12-1963, 01-02-1964, 02-05-1964, 22-08-1964, 03-10-1964, 16-01-1965, 05-06-1965, 19-06-1965, 17-07-1965, 11-09-1965, 06-11-1965, 27-11-1965, 08-01-1966, 19-02-1966, 26-02-1966, 26-03-1966, 23-04-1966, 18-06-1966, 03-09-1966, 10-09-1966, 01-10-1966, 22-10-1966, 31-12-1966, 18-02-1967, 11-02-1967, 01-04-1967, 15-04-1967, 29-04-1967, 22-07-1967, 19-08-1967, 30-07-1967, 02-03-1968, 30-03-1968, 08-06-1968, 15-06-1968, 08-03-1969, 12-04-1969, 26-04-1969, 14-06-1969, 19-07-1969, 23-01-1971, 07-08-1971, 19-06-1971, 07-10-1972, 18-11-1972, 16-12-1972, 04-05-1974, 31-05-1975, 13-12-1975, 22-04-1976, 12-06-1976, 10-07-1976, 28-08-1976, 21-01-1977, 23-04-1977, 04-06-1977, 21-07-1977, 12-11-1977, 01-04-1978, 26-05-1978, 31-05-1978, 01-07-1978, 07-10-1978, 04-11-1978, 19-12-1978, 08-12-1979, 10-05-1980, 23-12-1983, 10-05-1988 और सा.का.नि. सं. 1166(अ) तारीख 09-12-1988, सा.का.नि. सं. 855(अ), तारीख 25-09-1989, सा.का.नि. सं. 745(अ) तारीख 13-12-1993, सा.का.नि. सं. 598(अ), तारीख 30-06-1995, सा.का.नि. सं. 644(अ), तारीख 19-09-1995, सा.का.नि. 93(अ), तारीख 16.02.1996 सा.का.नि. सं. 262(अ), तारीख 22-05-1998, सा.का.नि. सं. 281(अ), तारीख 23-04-1999, सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 18-06-1999, शुद्धि-पत्र सा.का.नि. सं. 584(अ), तारीख 10-08-1999, सा.का.नि. सं. 554(अ), तारीख 22-06-2000, सा.का.नि. सं. 668(अ), तारीख 26-10-2006, सा.का.नि. सं. 160(अ), तारीख 03-03-2008, सा.का.नि. सं. 401(अ), तारीख 13-05-2010 और सा.का.नि. सं. 829(अ), तारीख 8-10-2010, सा.का.नि. सं. 471(अ) तारीख 10-07-2013, सा.का.नि. सं. 1161(अ), तारीख 21.12.2016, सा.का.नि. सं. 282(अ), तारीख 23.03-2017, सा.का.नि. सं. 415(अ), तारीख 28.04.2017, सा.का.नि.सं. 790(अ) तारीख 16.10.2019 और सा.का.नि.सं. 647(अ), तारीख 19.10.2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960 (hereinafter referred to as the said regulations), for regulation 1, the following shall be substituted, namely:—

“(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation (Staff) Rules, 1960.”.

3. In the said regulations,—

- (a) for the words “regulation” or “regulations” or “Regulations” wherever they occur (except in regulation 87), the words “rule” or “rules” or “Rules” shall, respectively, be substituted;
- (b) for the words “sub-regulation” or “sub-regulations” wherever they occur, the words “sub-rule” or “sub-rules” shall, respectively, be substituted.

4. In regulation 3 of the said regulations, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(da) “Executive Director” shall mean any officer of the Corporation appointed as an Executive Director and so designated.’.

5. In regulation 19 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) Notwithstanding anything contained in these rules, if the Central Government appoints the Chairman for a term of office that extends beyond sixty years of age, or extends his term of office to a period beyond the said age, he shall not superannuate till he completes such term, or till he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier.”.

[F. No. S-11012/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* notification dated 23rd July, 1960 and subsequently amended *vide* notifications dated 20-01-1962, 01-12-1962,

14-04-1962,	30-03-1963,	03-08-1963,	28-12-1963,	01-02-1964,	02-05-1964,	22-08-1964,
03-10-1964,	16-01-1965,	05-06-1965,	19-06-1965,	17-07-1965,	11-09-1965,	06-11-1965,
27-11-1965,	08-01-1966,	19-02-1966,	26-02-1966,	26-03-1966,	23-04-1966,	18-06-1966,
03-09-1966,	10-09-1966,	01-10-1966,	22-10-1966,	31-12-1966,	18-02-1967,	11-02-1967,
01-04-1967,	15-04-1967,	29-04-1967,	22-07-1967,	19-08-1967,	30-07-1967,	02-03-1968,
30-03-1968,	08-06-1968,	15-06-1968,	08-03-1969,	12-04-1969,	26-04-1969,	14-06-1969,
19-07-1969,	23-01-1971,	07-08-1971,	19-06-1971,	07-10-1972,	18-11-1972,	16-12-1972,
04-05-1974,	31-05-1975,	13-12-1975,	22-04-1976,	12-06-1976,	10-07-1976,	28-08-1976,
21-01-1977,	23-04-1977,	04-06-1977,	21-07-1977,	12-11-1977,	01-04-1978,	26-05-1978,
31-05-1978,	01-07-1978,	07-10-1978,	04-11-1978,	19-12-1978,	08-12-1979,	10-05-1980,

23-12-1983 and 10-05-1988, and *vide* G.S.R. No. 1166(E) dated 09-12-1988, G.S.R. No. 855(E) dated 25-09-1989, G.S.R. No. 745(E) dated 13-12-1993, G.S.R. No. 598(E) dated 30-06-1995, G.S.R. No. 644(E) dated 19-09-1995, G.S.R. No. 93(E) dated 16.02.1996, G.S.R. No. 262 (E) dated 22-05-1998, G.S.R. No. 281(E) dated 23-04-1999, G.S.R. No. 444(E) dated 18-06-1999, Corrigenda G.S.R. No. 584(E) dated 10-08-1999, G.S.R. No. 554(E) dated 22-06-2000, G.S.R. No. 668(E) dated 26-10-2006, G.S.R. No. 160(E) dated 03-03-2008, G.S.R. No. 401(E) dated 13-05-2010, G.S.R. No. 829(E) dated 08-10-2010, G.S.R. No. 471(E) dated 10-07-2013, G.S.R. No. 1161(E) dated 21-12-2016, G.S.R. No. 282(E) dated 23-03-2017, G.S.R. No. 415 (E) dated 28.04.2017, G.S.R. No. 790(E) dated 16.10.2019 and G.S.R. No. 647(E) dated 19.10.2020.